न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 341/15 निर्णय दिनांक :— 30.7.19

उनवान

कृष्ण बनाम रामफूल

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने उक्त शीर्षकीय वाद मान्य न्यायालय में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें वादीगण ने मृतक सांवताराम मीना को अपना वारिस बताया है। सांवताराम के सजरा खानदान अनुसार सांवता के जायन्दा वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 न होकर मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 11 है। इस कारण वादीगण का उक्त वाद खारिज होने योग्य है। वाद पत्र वादीगण के द्वारा तहसील कोटखावदा के ग्राम श्रीसंपत्तपुरा व अजमेरीपुरा की भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया है जबकि वादग्रस्त आराजी में से श्रीसंपतपुरा तहसील कोटखावदा में सांवता की विरासत का नामान्तकरण सं. 208 दिनांक 18.09.2015 को मिन प्रार्थीगण /प्रतिवादी सं. 06 लगायत 11 के पक्ष में खुल चुका है जिसमें सांवता पुत्र बलदेव का सजरा खानदान दर्शा रखा हैं और उक्त सांवता की विरासत का नामान्तकरण आज तक यथावत्त है। ऐसे में वाद पत्र खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में ग्राम श्रीसंपतपुरा तहसील कोटखावदा का नामान्तकरण सं. 208 दावा दायरी से पूर्व खुल चुका था फिर भी वादीगण द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 06 लगायत 11 को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा तथाकथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\KRISHNA VS RAMPHOOL.docx

नामान्तकरण को किसी भी न्यायालय में चैलेंज या निरस्त नहीं किया गया है ऐसे में पक्षकारों के अभाव में व नामान्तकरण निरस्त हुये बगैर दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वाद पत्र खारिज होने योग्य है। वाद पत्र में वर्णित दिनांक 02.10.2015 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि दावा दायरी से पूर्व से मिन के प्रार्थीगण प्रतिवादी सं, 06 लगायत 11 उक्त आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है ऐसे में वाद कारण के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार, फरमाया जाकर उक्त वाद खारिज फरमाने की कृपा करें।

वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम नियम 11 का दिनांक 01.04.2019 को पेश किये जाने पर प्रार्थना नकल अप्रार्थी/प्रतिवादी वकील को दी गयी अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा 01.04.2019 से 10.06.2019 तक पांच अवसर देने पर भी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किये जाने व प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र की जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस किये जाने हेतु कहे जाने पर जवाब बन्द कर दिनांक 02.07.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की बहस पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादीगण द्वारा सांवता का सजरा खानदान गलत दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में सांवता का सजरा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित अनुसार है सांवताराम के सजरा खानदान अनुसार सांवता [illegible] यन्दा वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लग[illegible]गण/प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 है वादीगण के द्वारा तहसील कोटखावदा के ग्राम श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संपतपुरा व अजमेरीपुरा की भूमि के संबंध में वादपत्र पेश किया है जबकि वादग्रस्त आराजी में से संपतपुरा में सावंताराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 12.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के पक्ष में खुल चुका हैं जिसमें सांवता पुत्र बलदेव का सजरा खानदान दर्शा रखा है जो उक्त सांवता का विरासत का नामान्तकरण आज तक यथावत है। नामान्तकरण संख्या 208 दावा दायरी से पूर्व खुल चुका था फिर भी वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 से 11 को वादपत्र में पक्षकार नही बनाया, उक्त नामान्तकरण को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नही किया। प्रार्थी प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा क्योंकि अप्रार्थी/वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेशनही किया गया जो प्रार्थना पत्र जवाब पेश नही करने के अभाव में स्वीकार योग्य है। जवाब बहस में अप्रार्थी/वादी वकील ने प्रार्थी/प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि वादीगण के चाचा सांवताराम पुत्र बलदेव का देहान्त 06.07.1975 को हो गया था। उसके वारिस वादीगण व प्रतिवादी है इनके अलावा कोई वारिस नही है, क्योंकि सांवता के कोई भी ओलाद नही थी केवल एक पत्नि थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। मृतक सांवता प्रतिवादी नं0 1 के पास रहता था, प्रतिवादी नम्बर 1 ने सांवता का स्वर्गवास होने पर सामाजिक परम्परा के अनुसार पगडी भी प्रतिवादी नं0 1 के ही बंधी थी, अब प्रतिवादी नं0 1 सांवता [illegible]रासत अकेले अपने नाम करवाना चाहता है, जब[illegible] का हिस्सा है। अतः प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का प्रतिवादी [illegible]ख्या 6 से 8 के द्वारा गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

तथ्यों पर पेश किया गया है। मीणा जाति में लडकियों का हक अधिकार नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व दावा का एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो मृतक सांवताराम के वारिसान झुमा देवी पत्नि जिसकी मृत्यू हो चुकी है दो पुत्रियॉ रामप्यारी पत्नि रणजीता व तीजा देवी पत्नि हजारी मीणा हैं जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 रामप्यारी के वारिस है। जिनको दावे में वादी द्वारा पक्षकारान नही बनाया गया है। जो प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान बनाये गये। उक्त नामान्तकरण का किसी के द्वारा आदिनांक तक अपील नही की गयी, सांवता ने सांवता की पत्नि द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया। ग्राम संपतपुरा का नामान्तकरण संख्या 208 नि0दि0 18.09.2015 पर सांवता का विरासत का नामान्तकरण आज तक यथावत है। सांवता द्वारा छोडी गयी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी/प्रतिवादी 6 से 11 काबिज काश्त है व शान्ति पूर्वक काबिज है ऐसे में वादीगण को किसी प्रकार का वादकारण उत्पन्न नही होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का प्रार्थी प्रतिवादीगण का बिना वादकारण उत्पन्न हुये दावा पेश करने एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के हक में ग्राम सम्पतपुरा का नामान्तकरण संख्या 208 में दर्शाये गये सजरा को किसी के द्वारा चेलेन्ज नही किये जाने एवं गोद लिये जाने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज (गोद–पत्र) पेश नही किये जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम का स्वीकार होने से दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:56 IST
Reason: SelfAttested